

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)  
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 32 / 15  
संस्थापन दिनांक-09.01.2015  
फाईलिंग नंबर-230303001032015

जसवंतसिंह आयु 42 साल पुत्र लालसिंह जाति  
कुशवाह निवासी माता का पुरा तहसील मेहगांव  
जिला भिण्ड म0प्र0

-----पुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

- 1- गुड्डी पत्नी संतोष गुप्ता जाति कुशवाह  
निवासी वार्ड नंबर-14 मौ परगना गोहद  
जिला भिण्ड
- 2- अरुण पुत्र संतोष गुप्ता जाति कुशवाह  
निवासी वार्ड नंबर-14 नाबालिग सरपरस्त  
गुड्डीबाई माँ खुद निवासी वार्ड नंबर-14  
कस्बा मौ परगना गोहद

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

-----  
न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद  
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-38/12मु0फौ. गुड्डीबाई  
बनाम जसवंत सिंह में पारित आदेश दिनांक 27.12.2014 से उत्पन्न  
दाण्डिक पुनरीक्षण

-----  
पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अधि0 ।  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधि0

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक **19 मार्च 2015** को पारित किया गया)

01. पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक जसवंत की और से उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 399 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/12 मु0फौ0 में दिनांक 27.12.2014 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक/प्रत्यर्थी का अंतरिम भरण पोषण का आवेदन स्वीकार करते हुये एक हजार रुपये और मासिक भरण पोषण भत्ता स्वीकृत किया था ।
02. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्ता और प्रत्यर्थी

गुड्डी बाई का विवाह हिन्दू रीति रिवाज से सन् 1993 में संपन्न हुआ था।

03. पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदिका/प्रत्यर्थी गुड्डी बाई की ओर से धारा-125 द0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसने अंतरिम भरणपोषण प्रकरण के निराकरण तक दिये जाने का निवेदन किया था। उक्त आवेदन के जवाब में अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता ने कह दिया कि अनावेदिका गुड्डी बाई ने दिनांक 26.09.96 को उससे विवाह विच्छेद कर लिया है तथा इकरारनामा लिखकर स्वेच्छया से अंगूठा लगाया है। तथा वह आवेदक की पत्नी नहीं रही है। तथा आवेदिका/प्रत्यर्थी ने 1998 में पुनर्विवाह संतोष गुप्ता के साथ कर लिया है। और वह संतोष गुप्ता की पत्नी की हैसियत से रह रही है। तथा उन दोनों के संसर्ग से ही अरुण का जन्म हुआ है। और संतोष गुप्ता ही उनका भरणपोषण कर रहा है। तथा गुड्डीबाई स्वयं मजदूरी करके अपना भरणपोषण करती है। इसलिये वह भरण पोषण राशि देने को उत्तरदायी नहीं हैं।

04. पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक ने यह भी आधार लिया है कि है कि इकरारनामा दिनांक 26.09.96 में यह उल्लेख किया गया था कि भविष्य में गुड्डीबाई निगरानीकर्ता की पत्नी नहीं रहेगी। दोनों अलग- अलग रहकर अपना अपना विवाह कर सकेंगे। तथा उनके संबंध में भविष्य में पति पत्नी के रूप में नहीं रहेंगे। उक्त इकरारनामा के साक्षी लक्ष्मन लक्ष्मन और डिल्लीराम ने इस बाबत अपना शपथ पत्र पेश कर उक्त तथ्यों का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि उक्त इकरारनामा पर गुड्डीबाई द्वारा अंगूठा कर दोनों के संबंध भविष्य में पति पत्नी के नहीं रहेंगे। तथा उनके संबंध विच्छेद हो गये एवं आवेदिका/प्रत्यर्थी गुड्डी बाई संबंध विच्छेद होने के बाद पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी नहीं रही एवं संतोष गुप्ता की पत्नी होना दस्तावेज से प्रमाणित हुआ है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को सही न मानकर कानूनी भूल की है जिसके आधार पर आवेदिका/प्रत्यर्थी किसी भी प्रकार की भरणपोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। तथा अनावेदिका वर्तमान में मौ में अपने माता पिता तथा संतोषगुप्ता के साथ पत्नी की हैसियत से निवास करती चली आ रही है। तथा विवाह विच्छेद के बाद कभी भी पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के साथ नहीं रही।

05- पुनरीक्षणकर्ता ने यह भी आधार लिया है कि विवाह विच्छेद के बाद से आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक तक आवेदिका/प्रत्यर्थी विवाह विच्छेद को मान्य

करती चली आ रही है क्योंकि उसे विवाह विच्छेद की जानकारी थी। किन्तु उसने संतोषगुप्ता व अन्य लोगों के बहकावे में आकर 125 द0प्र0सं0 का एवं अंतरिम भरणपोषण का आवेदन पेश कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तथा अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता बेरोजगार है उसके पास आय का कोई साधन नहीं है जबकि आवेदकगण/प्रत्यर्थीगण का भरणपोषण आवेदिका स्वयं एवं संतोष गुप्ता कर रहा है। तथा जब आवेदिका का पत्नी होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है तो भरणपोषण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिये आदेश अपास्त किया जावे।

06. पुनरीक्षण याचिका के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:—

- 1— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 38 / 12 मु0फौ0 में दिनांक 27.12.14 को पारित आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित, या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

### —::— निष्कर्ष के आधार —::—

07. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में पुनरीक्षण याचिका में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क करते हुए यह बताया है कि प्रत्यर्थी/गुड्डीबाई का पुनरीक्षणकर्ता से विवाह अवश्य हुआ था किन्तु वह केवल एक साल ही ब—मुश्किल उसके साथ रही थी। उसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर अपने मायके में रहने लगी। और अपनी मर्जी से उसने ससुराल त्याग दिया और बार बार प्रयास के बाद भी रहने नहीं आई तथा तीन जनवरी—1996 को लापता भी हो गयी थी। और वह पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के साथ रहने को तैयार नहीं थी। तथा उसने दिनांक 26.09.96 को इकरारनामा करके विवाह विच्छेद कर लिया था। वर्तमान में वह संतोष गुप्ता जाति कुशवाह निवासी वार्ड नंबर—14 की पत्नी बनकर रह रही है। उसी से उसके बच्चे का जन्म हुआ है।

08. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इकरारनामे को अवलोकन में तो लिया है किन्तु गुण—दोषों पर निराकरण की बात कहते हुए अंतरिम भरणपोषण का आवेदन पत्र स्वीकार किया है और एक हजार रुपये मासिक अंतरिम भरणपोषण दिलाया है। जबकि पृथक हुए 19 साल हो चुके हैं। और इस दौरान आवेदन करने के पूर्व

तक आवेदिका/प्रत्यर्थी गुड्डी बाई मौन रही। इन बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया है इसीलिये अंतरिम भरणपोषण आवेदन अवैध होकर अनुचित व औचित्यहीन है। पुनरीक्षणकर्ता बेरोजगार है उस पर आय का कोई साधन नहीं है। वह अपना खर्चा मेहनत मजदूरी करके कर रहा है जबकि गुड्डी बाई और उसके पुत्र का भरणपोषण उसका वर्तमान पति संतोष गुप्ता कर रहा है। और प्रत्यर्थी/आवेदिका गुड्डीबाई ने उसके विरुद्ध परेशान करने के लिये कई अन्य मामले भी चला रखे हैं। इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाये और आलोच्य आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण के शीघ्र निराकरण का निर्देश दिया जावे।

09. प्रत्यर्थी/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि इकरारनामा फर्जी है उसका कोई विधिक मूल्य नहीं है तथा अनावेदक/ पुनरीक्षणकर्ता से आवेदिका का विवाह हुआ था, विधिवत कोई तलाक नहीं हुआ है। और उसे पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक ने मारपीट कर भगा दिया था जिसके कारण वह मायके में रह रही है और अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम भरणपोषण का आदेश उचित किया है। तथा उनकी ओर से प्रकरण के निराकरण में कोई विलंब नहीं किया जा रहा है। बल्कि अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता ने विलंब की दृष्टि से ही पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है और पूर्व में भी करता रहा है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका सव्यय निरस्त की जावे। जिसके खण्डन में अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अनावेदक की ओर से इकरारनामा के साक्षी रामलक्ष्मण और डिल्लीराम के शपथ पत्र भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये गये हैं जिनमें आवेदिका/प्रत्यर्थी गुड्डीबाई की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। और लंबे समय तक आवेदिका/प्रत्यर्थी के मौन रहने से उसका न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना नहीं माना जा सकता है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे।

10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन व मनन किया गया। आलोच्य आदेश व अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदिका/प्रत्यर्थी श्रीमती गुड्डी बाई व नाबालिग पुत्र अरुण की ओर से धारा-125 द0प्र0सं0 के तहत जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में दिनांक 15.09.11 को मूल आवेदन पेश किया गया था। उसी के साथ अंतरिम भरणपोषण आवेदन पत्र भी पेश किया गया। अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दोनों आवेदन पत्रों का विस्तृत जवाब देते हुए मूलतः इस बात पर बल दिया है कि सन्

1993 में अनावेदिका से उसका विवाह अवश्य हुआ था किन्तु विवाह के बाद आवेदिका/प्रत्यर्थी ढंग से नहीं रही और ब-मुश्किल एक वर्ष ही उसके साथ रही जो कि स्वेच्छाचारिणी होकर जिद्दी महिला है। और सन् 1994 में वह अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता की सहमति के बिना अपने माँ-बाप के पास रहने लगी थी। अनेक प्रयास के बावजूद भी नहीं आई। तथा दिनांक 03.01.96 को लापता हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट अनावेदिका के पिता लालसिंह द्वारा की गई थी। तथा दिनांक 26.09.1996 को आवेदिका और अनावेदक का विवाह हुआ था। उन्होंने इकरारनामा कर लिया है जिससे वे पति पत्नी नहीं रहे। तथा आवेदिका 50 हजार रुपये व जेवरात लेकर चली गई थी। जिसने संजय गुप्ता नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया है और उसके संसर्ग से पुत्र अरुण पैदा हुआ है। इसलिये आवेदन चलने योग्य नहीं बताया गया है।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 27.12.14 को पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक को एक हजार रुपये मासिक अंतरिम भरणपोषण अदा करने का निर्देश दिया है जिसे उक्त पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई है। चुनौती का मूल आधार विवाह विच्छेद संबंधी बताया गया इकरारनामा है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी इकरारनामा के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि इकरारनामा के आधार पर विवाह विच्छेद नहीं हुआ है क्योंकि विधिक कार्यवाही के विपरीत जाकर यदि कोई कार्यवाही की जाती है तो उसका कोई विधि महत्व नहीं होता है। यह सुस्थापित विधि है कि हिन्दू विधि में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत ही सक्षम न्यायालय से विधिक कार्यवाही करके विवाह विच्छेद की आज्ञाप्ति वर्णित आधारों पर सिद्ध कर की जा सकती है। कोई भी विवाह किसी अनुबंध इकरारनामा से न तो जुड़ सकता है और न ही विच्छेदित हो सकता है। और हिन्दू धर्मावलंबियों का विवाह अनुबंध की भांति नहीं होता है बल्कि वह एक संस्कार है इसलिये विधिक कार्यवाही के अलावा अन्य प्रकार से विवाह विच्छेद विधिक रूप से संभव नहीं है। ऐसीस्थिति में जिस इकरारनामा दिनांक 26.09.06 को पुनरीक्षणकर्ता ने आधार बनाया है उसका कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे में पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक के द्वारा रामलक्ष्मण और डिल्लीराम के जिन शपथ पत्रों पर बल दिया है उनका भी कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है। और वर्तमान में जो तथ्य परिस्थितियाँ और दस्तावेज अभिलेख पर हैं उससे विवाह विच्छेद की उपधारणा नहीं बनाई जा

सकती है। पृथक् रहने के आधार पर मूल आवेदन पर क्या प्रभाव होगा? यह गुण-दोषों की विषय वस्तु है। लेकिन उभयपक्षकारों के जो अभिवचन हैं उससे यह तो निश्चित होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक जसवंतसिंह का प्रत्यर्थी/आवेदिका गुड्डीबाई के साथ सन् 1993 में हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार विवाह हुआ था। ऐसे में वर्तमान में पत्नी के रूप में उसके द्वारा धारा-125 द0प्र0सं0 के तहत भरणपोषण की की गई मांग विधि विरुद्ध नहीं कही जा सकती है।

12. जहाँ तक यह प्रश्न है कि आवेदिका पर स्वयं के भरणपोषण का साधन है, या नहीं। अनावेदक की अर्जन क्षमता क्या है? पक्षकारों का जीवनयापन स्तर कैसा है, यह बिन्दु गुण-दोषों पर ही निराकृत किये जा सकते हैं किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे प्रत्यर्थी/आवेदिका गुड्डी बाई की कोई स्वतंत्र आय स्वयं के जीवनयापन के लिये उपलब्ध हो।

13. जहाँ तक यह प्रश्न है कि पुत्र अरुण गुड्डी बाई की पुनरीक्षणकर्ता से उत्पन्न संतान है या नहीं, यह भी गुण-दोषों पर ही विनिश्चित हो सकेगा। आलोच्य आदेश मुताबिक एक हजार रुपये मासिक अंतरिम भरणपोषण आवेदिका को दिलाया गया है। अर्थात् आदेश से यह स्पष्ट होता है कि वह आवेदक क0-2 के रूप में बने पक्षकार नाबालिग पुत्र अरुण के लिये नहीं है केवल गुड्डी बाई के लिये है। जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक की आय के स्रोत का प्रश्न है, अभिलेख पर कोई निश्चित आय का स्रोत प्रकट नहीं है किन्तु वह स्वयं मजदूर पेशा व्यक्ति बताकर आया है। ऐसे में पिता के नाते वह उसके भरणपोषण से वह विमुख नहीं हो सकता है।

14. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष के अभिवचन अभिलेख पर आ चुके हैं और विचारणीय प्रश्न निर्मित कर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर गुण-दोषों पर निराकरण होना शेष है। ऐसे में प्रकरण के निराकरण के लिये समय सीमा निश्चित की जा सकती है क्योंकि दोनों ही पक्ष प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराना व्यक्त करते हैं। तथा धारा-125 द0प्र0सं0 की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसरण में होती है। आवेदन पत्र वर्ष 2011 का है और करीब साढ़े तीन साल का समय वर्तमान तक व्यतीत हो चुका है। ऐसे में प्रकरण के समस्त निराकरण की समय सीमा निश्चित की जाना उपयुक्त होगा।

15. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह बिन्दु उठाया गया है कि सन् 1996 के पश्चात से आवेदन प्रस्तुति के पूर्व तक आवेदिका/प्रत्यर्थी मौन रही और उसने कार्यवाही नहीं की, यह भरणपोषण से इन्कारी का आधार नहीं हो सकता है। क्योंकि भरणपोषण भत्ता प्राप्ति के लिये आवेदन करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। हालांकि यह सही है कि तीन वर्ष से अधिक पुरानी वसूली नहीं हो सकती है किन्तु आलोच्य आदेश में ऐसा स्पष्ट नहीं है कि वह आवेदन दिनांक से दिलाया गया है। इसलिये अंतरिम भरणपोषण आदेश दिनांक से दिलाया जाना माना जावेगा। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण याचिका विधिक बल नहीं रखती है। तथा भरणपोषण के उपबंध कल्याणकारी उपबंध हैं। फलतः इस निर्देश के साथ आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए उसे निरस्त किया जाता है कि उभयपक्ष प्रकरण के शीघ्र निराकरण में रुचि लेंगे। साक्ष्य के प्रक्रम पर प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहकर समुचित कार्यवाही करेंगे और अधीनस्थ न्यायालय इस आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रकरण का उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर गुण-दोषों पर निराकरण करेगा।

16. उपरोक्त निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जावे।

दिनांक – 19.03.2015

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया      आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)